न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः— 108/2007 (223 आर0 टी0 एक्ट)

1. विजय सिंह | पुत्रान राम सिंह
2. मोहन सिंह |
3. रनवीर |
4. बदनी | पुत्रान मवासी
5. रोशन |

} जाति जाट निवासी नगला बरताई तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1. घंसीराम | पुत्रान कल्लीराम जाति जाट निवासी नगला बरताई तह0 व जिला
2. गिर्राज | भरतपुर।
3. दयाराम |
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर।

.....रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर दिनांक 12.02.2001 उनवान घंसीराम बनाम सरकार प्र0स0 02/01

उपस्थितिः—

1. श्री महाराज सिंह डागुर वकील अपीलांट।
2. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील रेस्पोडेंटस।

निर्णय

दिनांकः—15.03.2021

यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2001 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण /रैस्पो0 ने एक दावा वास्ते इश्तकरार हक विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर साविक 513 रकबा 02 बीघा 16 विस्वा हाल ख0न0 384 रकबा 0.46 वाके ग्राम सुनारी तहसील भरतपुर

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

के वादीगण/रैस्पो0 व तरतीवी प्रतिवादी/रैस्पो0 दयाराम खातेदार काश्तकार व काबिज हैं। उक्त भूमि को मुस0 सन्ता पुत्री नन्दराम खातेदार से दिनांक 28.04.1966 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया था। परन्तु दाखिला खारिज संख्या 424 में विक्रेता मुस0 सन्ता को शिकमी दर्ज करते हुये कालम नम्बर 11 में क्रेताओ को भी शिकमी दर्ज कर दिया गया एवं दौराने बन्दोबस्त भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण/रैस्पो0 व तरतीवी प्रतिवादी/रैस्पो0 के उक्त इन्द्राजों को हटाते हुये मुस0 सन्ता के पिता नन्दराम का नाम दर्ज कर दिया। जबकि नन्दराम व सन्ता दोनों का देहान्त हो चुका है और उनका कोई वारिस नहीं है। प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। अतः राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज को निरस्त किया जाकर वादीगण/रैस्पो0 एवं तरतीवी प्रतिवादी/रैस्पो0 को खातेदार घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा एक पक्षीय रूप से दिनांक 13.08.1999 से खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादीगण/रैस्पो0 द्वारा न्यायालय हाजा में अपील दायर की गयी, जो आदेश दिनांक 14.12.2000 से आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को, उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दौराने अपील अधिवक्ता रैस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट संख्या 04 व 05 के फौत होने व अपीलाण्ट द्वारा कायम मुकाम कार्यवाही नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र अवैट प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट अवैट में खारिज करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई न्यायालय के आदेश दिनांक 15.02.2021 से आंशिक स्वीकार करते हुये, अपीलाण्ट संख्या 04 बदनी व अपीलाण्ट संख्या 05 रोशन की हद तक अवैट की जाकर बहस उभयपक्ष अन्तिम सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं कानूनी की मंशा के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी अपीलाण्ट को स्व0 राम सिंह व मवासी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई एवं अपीलाण्ट उक्त आराजी पर खातेदार काश्तकार काबिज हैं। स्व0 संन्ता व नन्दराम का विवादित आराजी से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा है एव ना ही रैस्पो0 को विवादित आराजी पर कोई अधिकार खातेदारी प्राप्त हैं कथित विक्रय पत्र दिनांक 28.04.1966 कतई गलत है एवं आरम्भ से ही शून्य है। चूंकि शिकमी सन्ता को कोई अधिकार विक्रय व खातेदारी प्राप्त नहीं रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि न्यायालय हाजा से उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ना तो तलब किया एव ंना ही सुनवाई का अवसर दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को बिना सुने उनकी बैक पर पारित किया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने गिरदावरी के आधार पर रैस्पो0 की शिकमी प्रविष्ठियॉ बताकर, विपरीत कब्जा मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जबकि काश्तकारी अधिकारो का सृजन विपरीत कब्जे के आधार पर नहीं हो सकता है। विवादित आराजी पर जब सन्ता को कोई अधिकार खातेदारी प्राप्त नहीं थे तो कथित क्रेतागण रैस्पो0 को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व विधिक प्रावधानो के विपरीत निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने जवाबी बहस में कथन प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी को रैस्पो0 द्वारा जरिये सेल डीड क्रय किया था। ग्राम पंचायत ने दाखिला खारिज खोलते समय विक्रेता मुस0 सन्ता को कॉलम नम्बर 05 में शिकमी दर्ज करते हुये कॉलम नम्बर 11 में रैस्पो0 को भी शिकमी अंकित कर दिया। मुस0 सन्ता विवादित आराजी के विक्रय के समय खातेदार थी। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है एव ंना ही उनका विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार ही है। विवादित आराजी को क्रय करने के पश्चात् से रैस्पो0 का ही कब्जा काश्त है। अतः विपरीत कब्जे के आधार पर भी रैस्पो0 को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा डिक्री किया है जो विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई का मौका नहीं मिला। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट हाजिर थे एवं अपीलाधीन आदेश उनकी मौजूदगी में ही पारित हुआ है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1993 पेज 615, 2007 पेज 26, 1994 पेज 22, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिनांक 07.09.2019 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस वाद को तय करने हेतु दो तनकियॉ कायम की गयी हैं जिसमें तनकी संख्या एक महत्वपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को विक्रय पत्र में मुस0 सन्ता के खातेदार अंकित होने, जमाबन्दरी संवत 2019 में विवादित आराजी पर अपठित पुत्री नन्दराम खातेदार दर्ज होने व खसरा गिरदावरी में दर्ज इन्द्राजो के आधार पर कयास लगाकर तय किया है जो विधि अनुरूप नहीं है। खसरा गिरदावरी अधिकार अभिलेख की श्रेणी में नही आता है और न ही खसरा गिरदावरी के इन्द्राज से किसी के अधिकार तय किये जा सकते हैं। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट खातेदार दर्ज हैं। उक्त इन्द्राज किस आधार पर गलत है वादी/रैस्पो0 ने अपने किसी भी साक्ष्य से सिद्ध नही किया।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.12.2000 से अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। परन्तु अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.01.2001, 02.02.2001, 05.02.2001 से होती है। उक्त आदेशिकाओ में वादी/रैस्पो0 व पैरोकार सरकार का ही उपस्थित होना अंकित हैं जिससे स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला। जबकि प्रकरण न्यायालय हाजा से उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार करने एवं पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु विवश हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 26.04.2021 को उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के वापस भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.03.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर